भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 6143

दिनांक 01.04.2026 को उत्तर देने के लिए

विशेष श्रेणी का दर्जा

6143. **श्री ज्ञानेश्वर पाटील:**

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने की कई मांगें सरकार के पास लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को भी विशेष श्रेणी का दर्जा देने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और नीति आयोग की सिफारिशें क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं

राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ) आयोजना सहायता के लिए 'विशेष श्रेणी का दर्जा' पहले राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा कुछ राज्यों को दिया गया था। इन राज्यों में कई ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उन पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी था। इन विशेषताओं में शामिल थे: (i) पहाड़ी और दुर्गम भौगोलिक बनावट, (ii) निम्न जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, (iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थिति, (iv) आर्थिक और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़ापन, और (v) राज्य के वित्त की

अव्यावहारिक प्रकृति। यह निर्णय ऊपर सूचीबद्ध सभी कारकों और उस राज्य की विशेष परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद लिया गया था।

2. हालाँकि, 14 वें वित्त आयोग ने सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया (रिपोर्ट का पैरा 2.29 देखें)। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार ने राज्यों को मिलने वाले 'निवल विभाज्य करों' का हिस्सा पहले के 32% से बढ़ाकर 2015-20 की अवधि के लिए 42% कर दिया। इससे राज्यों को अधिक अप्रतिबंधित संसाधन प्राप्त हुए हैं। 15वें और 16वें वित्त आयोग ने भी इस हिस्से को क्रमशः 2021-26 और 2026-2031 की अवधियों के लिए 41% पर ही बनाए रखा है (जम्मू-कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाने के कारण इसमें 1% का समायोजन किया गया है)। इसका उद्देश्य कर-हस्तांतरण के माध्यम से, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक राज्य के संसाधनों की कमी को पूरा करना रहा है। इस प्रकार, वित्त आयोगों की सिफारिशों का पालन करते हुए, विशेष श्रेणी के राज्यों की अवधारणा समाप्त हो गई। इसे देखते हुए, वर्तमान में किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
